

बनाम

मुंशी पुत्र पपैया वगै० जाति गुर्जर निवासी खेरलीगूजर तहसील सूसैठ जिला करौली

प्रतिवादीगण 12

दाबा बावत् तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

यह दावा वादी की ओर से श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट के जरिए पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिए सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 20-10-2020 को पेश हो।

(सुरेश कुमार यादव)  
उपखण्ड अधिकारी

हिण्डौन

20 <sup>10</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित।  
प्रतिवादी न० 2 की अस्मा तहसील जगह प्रतिवादी न०  
12 की तहसील जगह। प्रतिवादी न० 1 की अस्मा तहसील  
जगह अस्मा तहसील जगह द्वारा वकालत पत्र  
पेश किया। जो शाब्दिक पत्रावली किया गया।  
पत्रावली वादत जमान दि० 10-12-2020  
को पेश है।

10 <sup>12</sup>/<sub>2020</sub> पत्रावली पेश हुई। पीठासीन अधिकारी  
उपस्थित होने के कारण पत्रावली  
पूर्वानुसार दिनांक 13-2021 को पेश है।

3 <sup>2021</sup> पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उपस्थित। वादी वकील  
ने अवगत कराया कि वादी प्रकरण बाने नहीं चलाया था।  
वादी प्रकरण से उत्पन्न नै शाब्दिक कराना बाहर है।  
अतः मुंश 1313/2020 याना नंगू बनाम मुंशी  
जो उत्पन्न नै शाब्दिक किया जाता है। पत्रावली पेश  
शुमार होकर नंगू नै कम है।

09.03.2021

सुरेश कुमार यादव  
उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन

not press

(देवी सिंघल)